

e of the Units		Outstand- ing load as on 1-4-1980.
1	2	3
I. INDUSTRY:		
1.	M/s. Bharat Wagon & Engg. Co. Ltd., Muzaffarpur	11572
2.	M/s. Bharat Wagon & Engg.- Co., Ltd., Mokameh.	1345
3.	M/s. Braithwaite, Calcutta	4157*
4.	M/s. Burn Standard, Howrah	4795
5.	M/s. Burn Standard, Burn- pur.	3950.5
6.	M/s. Cintmco Bharatpur	5116
7.	M/s. Hindustan General Indus- tries, Nangloi	1235
8.	M/s. Modern Industries, Sahibabad	1387.5
9.	M/s. Texmaco, Calcutta	4570
Grand Total		28,123
II. RAILWAY WORKSHOPS		6,252

Braithwait's order has been subsequently reduced by 232 wagons in terms of four-wheelers, which have been ordered on another Unit viz. M/s. Jessop, Calcutta.

पश्चिम रेलवे में हरिजनों के लिए आरक्षित पद

5422. श्री दिलीप सिंह भूरिया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के सदस्यों के लिए श्रेणीवार कितने पदों का आरक्षण किया गया है ;

(ख) उनमें से कितने पद रिक्त पड़े हैं ;

(ग) उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) रेलवे विभाग इन रिक्त पदों का भरने के लिए क्या कार्यवाही कर रहा है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) / सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

गर्भ की समाप्ति

5423. श्री तारिक अन्वर : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कानून के अन्तर्गत, 20 सप्ताह से अधिक पुराने भ्रूण का आपरेशन करना वर्जित है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि गर्भ-समाप्ति को पूरी तरह गुप्त रखा जाता है ;

(ग) क्या सरकार का ध्यान 23 जून, 1980 के "नवभारत टाइम्स" में प्रकाशित उस समाचार की ओर डिलाया गया है जिसके अनुसार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में एक अविवाहित युवती का 26 सप्ताह पुराना गर्भ समाप्त किया गया था और गर्भस्थ शिशु तुरन्त मर गया था, और

(घ) यदि हां, तो समाचार पत्रों को इसका पता कैसे लगा और वहां गुप्तता बनाए रखने के नियमों का उल्लंघन किसने किया ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीहार रंजन लस्कर) : (क) गर्भ के चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 के अधीन केवल 20 सप्ताह तक के गर्भ को ही समाप्त किया जा सकता है।

(ख) गर्भ के चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 की धारा 3 के अधीन गर्भ की समाप्ति के लिए कुछेक शर्तें निर्दिष्ट की गई हैं। उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन भारत सरकार ने विनियम जारी किए हैं जिनका नाम "गर्भ का चिकित्सीय समापन विनियम, 1975" है। गर्भ के